न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 58/**2021** अपील (राजस्व)

श्री मुकेश पिता भंवरलाल बागडी निवासी– मकान नम्बर 36, एकलिंग कॉलोनी, हिरण मगरी सेक्टर–3, उदयपुर

–– अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पिता श्री भेरा डांगी निवासी कलडवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

–– रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश तहसलीदार गिर्वा दिनांक 20.05.2019 बाबत नामान्तरण संख्या 2342 ग्राम एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर(राज.)

अधिवक्तागण : श्री संदीप दाधीच, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मानाराम डांगी, रेस्पोडेन्ट सं.1
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– ....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा राजस्व ग्राम एकलिंगपुरा पटवार मण्डल कलडवास तहसील गिर्वा मे स्थित आराजी नम्बर 1923 से लगायत 1928 कुल 0.82 हेक्टेयर मे से 0.0047 हेक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई। नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा नामान्तरण संख्या 2342 दिनांक 17.05.2019 विक्रय पत्र अनुसार अपीलाण्ट के नाम दर्ज हुई जिसमे अपीलाण्ट का हिस्सा 4/205 दर्ज किया गया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजीयात मे से केवल 0.0047 हे. भूमि का की क्रय किया है इसलिये अपीलाण्ट [illegible] मे 47/8200 वां हिस्सा दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

होना था जबकि 4/205वां हिस्सा दर्ज किया जो गलत है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध दोनो के मध्य पूर्व में हुए इकरार दिनांक 24.10.2017 के सम्बन्ध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 उदयपुर के समक्ष पेश किया जहां पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के बीच राजीनामा हुआ कि वे मिलकर अपीलाण्ट के पक्ष में जो गलत नामान्तरण खुला है उसे दुरूस्थ करवायेगें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2342 दिनांक 20.05.2019 को अपास्त फरमाया जावे एवं आराजीयात में अपीलाण्ट का 47/8200वां हक हिस्सा दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं या उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा राजस्व ग्राम एकलिंगपुरा पटवार मण्डल कलडवास तहसील गिर्वा मे स्थित आराजी नम्बर 1923 से लगायत 1928 कुल 0.82 हेक्टेयर मे से 0.0047 हेक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई। अपीलाण्ट का हिस्सा 47/8200 दर्ज किया जाना था लेकिन तहसीलदार गिर्वा द्वारा 4/205वां हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बीच इस सम्बन्ध में राजीनामा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 उदयपुर के समक्ष हो चुका है अतः अपीलाण्ट का हिस्सा सही दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों अनुसार अपीलाण्ट द्वारा राजस्व ग्राम एकलिंगपुरा पटवार मण्डल कलडवास तहसील गिर्वा मे स्थित आराजी नम्बर 1923 से लगायत 1928 कुल 0.82 हेक्टेयर मे से 0.0047 हेक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई जिसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक [illegible] संलग्न पत्रावली है। विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अनुसार प्रार्थी द्वारा 0.0047 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है ऐसी स्थिति में उसका हिस्सा 47/8200 बनता है। साथ ही दोनो पक्षो द्वारा संशोधन किये जाने का राजीनामे के आधार पर ही अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 उदयपुर में विचाराधीन वाद को ड्रॉप कराया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2019 अनुसार अपीलाण्ट का हिस्सा निर्धारित करते हुए पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested